संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

पीपीएचटी–2010 के आधार पर फार्मेसी (डिग्री/डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग का कार्यक्रम एवं विस्तृत प्रक्रिया (द्वितीय चरण)

सत्र 2010–11

प्रथम चरण की ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग उपरांत रिक्त सीटों के लिये व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित पीईपीटी–2010 की पीपीएचटी–2010 प्रवेश परीक्षा के घोषित परिणामों के आधार पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गॉव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों–सह–कियोस्क केन्द्रों की सूची उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी ।

द्वितीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग में कौन सम्मिलित होंगें ?

द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग में निम्नलिखित उम्मीदवार सम्मिलित हो सकते हैं:–

(एक) जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो सके थे।

(दो) जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में तृतीय विकल्प अर्थात आवंटित संस्था/बांच में प्रवेश का इच्छुक नहीं (Not Interested to take admission in the allotted Institution/Branch) का चयन किया था।

(तीन) जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटन पश्चात् तीनों विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया था।

(चार) जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग में च्वाईस भरकर शुल्क का भुगतान कर लॉक कर दिया था किन्तु उन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हो सका।

नोटः–अ) उपरोक्त (एक) में उल्लेखित उम्मीदवारों को समय–सारणी में दिये अनुसार सभी स्टेप्स 1 से 5 तक का पालन करना होगा । तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर देय शुल्क, समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये ₹ 520/–(नॉन–रिफण्डेबल) तथा ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक करने हेतु देय आंशिक शिक्षण शुल्क अनारक्षित श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ₹ 10080/– (₹ 80/–पोर्टल चार्जेस सहित) तथा मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवारों को शुल्क ₹ 1080/– (₹ 80/–पोर्टल चार्जेस सहित) देय होगा।

ब) उपरोक्त (दो), (तीन) एवं (चार) की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारो को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सीधे संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम अर्थात च्वाईस फिलिंग करनी है तथा प्राथमिकताक्रम के चयन के पश्चात् लॉक करने हेतु उम्मीदवारों को ।

//समय–सारणी//

क्रमांक (STEPS)	क्या करना है?	निर्धारित तिथियां	कहां से ?
1.	**दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)** 1. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है जिन्होने पीईटी–2010 की परीक्षा फार्म में किसी आरक्षित श्रेणी/वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन किया था। 2. दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत ही वे अगले स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सम्मिलित होंगे। 3. जिन्होंने पूर्व में दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया है, उन्हें पुनः सहायता केन्द्र पर जाकर दस्तावेजों के सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है। 4. दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य रजिस्ट्रेशन के पूर्व ही करवाया जा सकता है। 5. अनारक्षित (UR) श्रेणी/बिना वर्ग के उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन इस स्टेज पर नहीं कराना है, वे सीधे अगले स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सम्मिलित होंगे।	12/08/2010 से 16/08/2010 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत **सहायता केन्द्रो (Help Centres)** से कराना है जिसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2.	**ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration)** समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये	12/08/2010 से 16/08/2010 की रात्रि 11.45 बजे तक	इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी
3.	**इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (Online Preference Selection, Choice Filling and Locking)** समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये	12/08/2010 से 16/08/2010 की रात्रि 11.45 बजे तक	इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी
4.	**आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता तथा विकल्प प्रस्तुत करना (Online availability of Allotment Letter & Option submission)** समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये	19/08/2010 से 22/08/2010 को सायं 5 बजे तक	इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी
5.	**आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश (Reporting and Admission at Allotted Institution)** (समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये जिन्होंने उपरोक्त स्टेप 4 में प्रथम विकल्प अर्थात "Satisfied with Alloted Institution" का विकल्प प्रस्तुत किया है)	19/08/2010 से 22/08/2010 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक कार्य दिवसों में)	आवंटित संस्था में उपस्थित होकर
6.	**अपग्रेडेशन उपरांत ऑनलाइन आवंटन पत्रों की उपलब्धता तथा आवंटित संस्था में उपस्थिति** (समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों के लिये जिन्होंने उपरोक्त स्टेप 4 में अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत किया था)	27/08/2010 से 30/08/2010 को सायं 5 बजे तक	आवंटित संस्था में उपस्थित होकर

प्रथम चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं ?

ऑनलाईन काउंसिलिंग में उम्मीदवार निम्नलिखित किसी भी माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं:–

सारणी क्रमांक 1
इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अपने घर में इंटरनेट की सुविधा होने पर घर से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/अशासकीय अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय राज्य शासन के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/अशासकीय अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय/प्रमुख शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा उच्च शिक्षा के चुनिंदा महाविद्यालयों आदि (जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट www.mponline.gov.in तथा www.dtempcounselling.org पर उपलब्ध है) में स्थित इंटरनेट के सुविधा केन्द्रों से।
- एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से (जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है)
- उम्मीदवार के शहर/गॉव में स्थित इंटरनेट सुविधा के माध्यम से ।

Website:- www.dtempcounselling.org or www.mponline.gov.in

1. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

आरक्षित श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों को सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों का काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्रों **(Help Centres)** जोकि प्रदेश के समस्त शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/चुनिंदा शासकीय महाविद्यालय तथा शासकीय उत्कृष्ट स्कूल हैं (जिसकी सूची **mponline** की वेबसाइट में उपलब्ध है) में उपस्थित होकर सत्यापन करवाना होगा।

आरक्षण का लाभ लेने वाले मध्यप्रदेश के निम्नलिखित श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों को अपने मूल–दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा :–

1. मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)/अनु. जनजाति (ST)/अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) के सभी उम्मीदवार,
2. समस्त श्रेणी के विकलांग (Handicapped)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF)/सैनिक वर्ग (S) के सभी उम्मीदवार

उपरोक्त दर्शाये गये उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है :–

- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) (OBC) उम्मीदवारों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र (जो लागू हो)
- नवीनतम आय प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF)/सैनिक का प्रमाण–पत्र (S) (यदि लागू हो)
- विकलांग उम्मीदवारों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित दोनों प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
  - जिला जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र ; तथा
  - अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र

टीप:–
1) यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन व्दारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी व्दारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।
2) उम्मीदवारों को सहायता केन्द्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे ।
3) सहायता केन्द्र, उम्मीदवारों को Eligble/Not Eligible की पावती जारी करेंगें ।
4) Not Eligible उम्मीदवार सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर उम्मीदवार अपनी स्वेच्छा से **अनारक्षित उम्मीदवार** की श्रेणी से काउंसिलिंग हेतु अपना ऑनलाईन पंजीयन करवा सकते हैं ।

किसी भी प्रकार के आरक्षित श्रेणी/वर्ग का लाभ नहीं लेने वाले अर्थात अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग (Unreserved Category) के उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है वे सीधे ऑनलाईन पंजीयन करा सकते हैं।

जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसिलिंग के दौरान अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया था उन्हें पुनः दस्तावेजों के सत्यापन करवाने हेतु सहायता केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

2. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत तथा जबकि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सीधे वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करवाएंगे। ऑनलाइन पंजीयन हेतु समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये पंजीयन शुल्क रू 520/– (पोर्टल चार्जेस 20 रू सहित) देय होगा ।

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी–

- उम्मीदवार वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम में जाकर Registration करावें
- ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये उम्मीदवार को निम्नलिखित डाटा रजिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक होगाः–
  - व्यापमं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा का रोल नंबर
  - जन्म तिथि
  - अर्हकारी परीक्षा का रोल नंबर (12वीं/डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी लागू हो)
  - अर्हकारी परीक्षा के पूर्णांक तथा प्राप्तांक
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष

नोटः– पंजीयन शुल्क का भुगतान के लिये निम्नलिखित सारणी में दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है:–

सारणी क्रमांक 2 शुल्क भुगतान करने के विकल्प
➢ इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/एक्सिस बैंक)
➢ क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) आई.सी.आई.सी.आई.बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गेटवे के माध्यम से
➢ एटीएम–कम–डेबिट कार्ड (Maestro Card) –स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गेटवे के माध्यम से
➢ AXIS बैंक के पे–स्लिप द्वारा
➢ सभी अधिकृत सहायता केन्द्रों–सह–कियोस्क केन्द्रों पर नगद भुगतान द्वारा
➢ एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा

पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही उम्मीदवार को शुल्क भुगतान की रसीद तथा अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा। अतः शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंवे ।

महत्वपूर्ण :–

- ✓ उम्मीदवार प्रथमतः प्राप्त पासवर्ड को अनिवार्य रूप से सुरक्षा की दृष्टिकोण से बदल लेवें तथा बदले हुए पासवर्ड को किसी को न बताएं ।
- ✓ अगली बार उम्मीदवार अपने प्रवेश परीक्षा के रोल नंबर, जन्म तिथि एवं परिवर्तित पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकेगें । उम्मीदवार जब भी लॉगईन करे अनिवार्यतः अंत में सुरक्षा की दृष्टि से लॉगआउट भी करे ।
- ✓ सभी उम्मीदवार सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये **पासवर्ड** सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो ।
- ✓ पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में उम्मीदवार के द्वारा पंजीयन के समय जो अतिरिक्त जानकारियां दी गई है, उनका उपयोग कर नया पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है ।
- ✓ उम्मीदवार को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल लें ।

3. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान (Online Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

ऑनलाईन पंजीयन के उपरांत उम्मीदवार पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम का चयन कर सकेगें। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा–

- उम्मीदवार अपने लॉगइनआईडी/पासवर्ड से लॉगइन करें तत्पश्चात संस्थाओं/शाखाओं (ब्रांच) की प्राथमिकताक्रम का चयन करे
- उम्मीदवार कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/ब्रांचों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे । जिसे निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क के भुगतान करने पर अंतिम रूप से लॉक किया जा सकेगा ।
- अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व उम्मीदवार अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं । शुल्क का भुगतान करने के बाद पसंद/प्राथमिकता लॉक हो जावेगी तथा उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा । अनारक्षित श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को आंशिक शिक्षण शुल्क रू 10080/– (रू. 80/–पोर्टल चार्जेस सहित) तथा मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवारों को शुल्क रू 1080/– (रू. 80/–पोर्टल चार्जेस सहित) का भुगतान करना होगा । शिक्षण शुल्क का भुगतान **"सारणी क्रमांक 2 –शुल्क भुगतान करने के विकल्प"** मे दर्शाये अनुसार ही करना होगा । शिक्षण शुल्क के भुगतान एवं च्वाईस को लॉक करने के बाद उम्मीदवारों को एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाईस का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। उम्मीदवार इस पावती को संभालकर अपने पास रखें ।

- जिन उम्मीदवारों ने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित हुए थे तथा आवंटन उपरांत तृतीय विकल्प अर्थात आवंटित संस्था/बांच में प्रवेश का इच्छुक नहीं (Not Interested to take admission in the allotted Institution/Branch) का चयन किया था अथवा जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटन पश्चात् प्राप्त तीन विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया था अथवा जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में च्वाईस भरकर शुल्क का भुगतान कर लॉक कर दिया था किन्तु उन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हो सका था। ऐसे उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सीधे संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम अर्थात च्वाईस फिलिंग करनी है तथा प्राथमिकताक्रम के चयन के पश्चात् लॉक करने हेतु उम्मीदवारों को पोर्टल शुल्क सहित ₹ 180/– का भुगतान करना होगा उन्हें अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है

4. ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)

उम्मीदवारों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम के आधार पर कॉमन मेरिट रैंक के अनुसार निर्धारित समय–सारणी के अनुसार उम्मीदवारों को आवंटन जारी किया जावेगा तथा आवंटन–पत्र में आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख रहेगा । उम्मीदवार अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड का उपयोग कर इसका आवंटित संस्था/ब्रांच का अवलोकन करेंगे तत्पश्चात् नीचे दर्शाये गये तीन विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर आवंटन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे । संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन होने के पश्चात् निर्धारित समय–सीमा में उम्मीदवार को निम्नलिखित तीन विकल्पों में से एक का चयन करना होगाः–

विकल्प 1. संतुष्ट तथा आवंटित संस्था/ब्रांच में प्रवेश का इच्छुक (Satisfied with the allotted Institute/Branch and confirm my admission)

विकल्प 2. अपग्रेडेशन के लिये इच्छुक तथा अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व आवंटित संस्था/ब्रांच में ही प्रवेश का इच्छुक (Consent for Upgradation otherwise retain the allotted Institution/Branch)

विकल्प 3. आवंटित संस्था/बांच में प्रवेश का इच्छुक नहीं (Not Interested to take admission in the allotted Institution/Branch)

महत्वपूर्णः–

- ✓ ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने **प्रथम विकल्प** का चयन किया है वे आवंटन–पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें तथा प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक आवंटित संस्था में रिपोर्ट करें और प्रवेश प्राप्त करें। ।
- ✓ ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने **द्वितीय विकल्प** का चयन किया है वे अपग्रेडेशन होने तक इंतजार करें अर्थात उन्होंने जिन संस्थाओं के लिये प्राथमिकताक्रम का चयन किया था उनमें से उन्हें आवंटित संस्था/ब्रांच के ऊपर की चयनित संस्थाओं के लिये आवंटन हेतु अवसर मिलेगा तथा अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करें तथा नये आवंटित संस्था में प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट करें । अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व आवंटित संस्था में ही प्रिंटआउट में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट करें ।
- ✓ जिन उम्मीदवारों ने **तीसरे विकल्प** का चयन किया है वे द्वितीय चरण की काउंसिलिंग से बाहर हो जावेंगे ।

5. आवंटित संस्था में उपस्थिति तथा आवंटित संस्था में दस्तावेजों का सत्यापन (Reporting at Alloted Institute and Document Verification)

उम्मीदवारों को प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा । इसके लिये निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता भी होगीः–

- वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिंटआउट
- अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची
- 10वीं की मूल अंकसूची/प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) तथा
- अन्य मूल प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो)

आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश प्राप्त करना होगाः–

- ➢ उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन संस्था के अधिकृत अधिकारी उनकी संस्था के लिये जारी किये गये लॉगइनआई एवं पासवर्ड से कन्फर्म करेंगे तथा
- ➢ रिपोर्टिंग के तुरंत बाद ऑनलाईन प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट जोकि संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरित होगी, उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से दी जावेगी ।
- ➢ उम्मीदवार अयोग्य घोषित होने पर Not Eligbile की पर्ची प्रिंट होगी जिसे संस्था के अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षरित कर उम्मीदवारों को इसकी एक प्रति देंगे ।
- ➢ Not Eligbile उम्मीदवार पुनः इस चरण काउंसिलिंग की रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं ।
- ➢ किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण–पत्र संस्था में जमा नहीं करने हैं।

महत्वपूर्ण टीपः–

- प्रवेश नियम वेबसाईट पर उपलब्ध हैं । उम्मीदवार ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व प्रवेश नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। संस्थाओं/शाखाओं की सूची अपने पास रख लें जोकि प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने के लिये सहायक होगी।
- उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे अपने अर्हकारी परीक्षा एवं अन्य योग्यता प्रवेश हेतु पूर्ण करते हैं। आवंटित संस्था में सभी उम्मीदवारों के अर्हकारी परीक्षा तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कमी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। प्रवेश हेतु पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के लिये प्रवेश नियमों का अध्ययन अवश्य कर लें ।
- सभी उम्मीदवार कृपया सुनिशचित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये जो **पासवर्ड** रहेगा उसे सुरक्षित रखें ताकि समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो। ऑनलाईन काउंसिलिंग के लिये उम्मीदवारों द्वारा जो ई–मेल आईडी तथा मोबाईल/फोन नंबर दिया गया है, उसे अवलोकन करते रहें क्योंकि काउंसिलिंग के विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों को इनपर जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।
- रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग तथा शुल्क का भुगतान करते समय यदि किसी तरह की कठिनाई आये तो वे वेबसाईट में दिये गये **Payment Status, User Grievances, Forgot Password, Reprint Receipt** आदि **Links** का उपयोग करें।
- ऑनलाइन काउंसिलिंग के विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले शुल्क का भुगतान निम्नलिखित किसी भी माध्यम से किया जा सकता हैः–
  इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/एक्सिस बैंक) द्वारा/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) ICICI Bank or State Bank of India के Gateway द्वारा/ATM-cum-Debit Card: Maestro Card (State Bank of India के Gateway द्वारा)/AXIS बैंक के पे–स्लिप द्वारा/सभी अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नगद भुगतान द्वारा/एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त रह गयी/ड्रापआउट सीटों के लिये अर्हकारी परीक्षा (12वीं) में प्राप्तांकों के आधार पर तृतीय चरण की काउंसिलिंग का कार्यक्रम एमपीऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in तथा सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org पर जारी किया जावेगा ।

प्रवेश नियम, सीटों का विवरण, संस्थानों के विवरण, संस्थानों की ट्यूशन फीस तथा सहायता केन्द्रों/कियोस्क केन्द्रों आदि की जानकारी एमपीऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in तथा सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org पर उपलब्ध रहेगी।

पूछताछ के लिये संपर्क दूरभाष क्रमांक (0755) 4002361/4002362/4002363/4002364/4002365/2660554/2660434/2660441

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश